रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 138] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 1974/चैत्र 1, 1896
No. 138] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 1974/CHAITRA 1, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDERS

New Delhi, the 19th March, 1974

S.O. 192 (E).—In pursuance of the directions issued under the provisions of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 29 the Second Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it each in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub-Section (4) of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).

(2) Sub-Section (4) of Section 5 of the Punjab Cinema (Regulation) Act, 1952 (Punjab Act XI of 1952).

THE SECOND SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientifi film or a film in tended for educar tional purposes o a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	Haryana Darshan	Samachar No. 12	273·10 Metres	Director of Public Relation, Haryana Government, Chandigarh.	News and Current Events (For release in Haryana Circuit)
2	Haryana Darshan	Samachar No. 9	283·16 Metres	R.P. Kesari, Deputy Director, Public Relation, Haryana Government, Chandigarh.	Do.

[No. F. 28/2/74-F(P) App. 1882].

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1974

एस० ओ० 192(अ).—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उन के सभी भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

(1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16।

(2) पंजाब सिनेमा (विनियम) अधिनियम, 1952 (1952 का 11वां पंजाब अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (4)।

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म फिल्म है या डाकुमैंट्री फिल्म है
1	2	3	4	5	6
(1)	हरयाणा समाचार दर्शन संख्या 12	273.10 मीटर	प्रचार निदेशक, हरयाणा सरकार, चण्डीगढ़		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल हरयाणा सर्किट के लिए)
(2)	हरयाणा समाचार दर्शन संख्या 9	283.16 मीटर	श्री आर० पी० केसरी, उप-प्रचार निदेशक, हरयाणा सरकार, चण्डीगढ़		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल हरयाणा सर्किट के लिए)

[सं० फा० 28/2/74—एफ० (पी०) परिशिष्ट 1882]

S.O. 193 (E).—In pursuance of the directions issued under the provisions of each of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto the Central Government after considering the recommendations of the film Advisory Board, Bombay hereby approves the film/films specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in Gujarati to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub-Section 4 of the Section 12 andSection 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Cental) Act XXXVII of 1952).

(2) Sub-Section (3) of the Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XVII of 1953).

THE SECOND SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1	Mahiti-chitra No. 179	233·00 Metres	Director of Information Government of Gujarat Sachivalaya Gandhi Nagar (Gujarat)		Film dealing with news and current events. (For release in Gujarat Circuit only).
2	Ramta-ram Ni Ram Khani	305·00 Metres	Ramesh Devi Pictures, 108 Ardeshar Dadi St. Bombay-4.		'Educational Release in Gujarat Circuit only).

[No. F. 28/2/74-F(P) App. 1883]

एस० ओ० 193 (अ).—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तगत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, उस के साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उन के गुजराती भाषा रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकार करती है :—

प्रथम अनुसूची

(1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16.

(2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 17वां बम्बई अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9.

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	महिती चित्र सं० 179	233.00 मीटर	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार सचिवालय, गांधी नगर ।		समाचार और सामयिक घटनाओं से संबंधित फिल्म (केवल गुजरात सर्किट के लिए)
2	रमता राम नी रामकहानी	305.00 मीटर	रमेश दानी	पिक्चर्ज 108–अर्देपार दादी स्ट्रीट, बम्बई–4.	शिक्षा सम्बन्धी (केवल गुजरात सर्किट के लिए)

[सं०फ० 28/2/74–एफ० (पी०) परिशिष्ट 1883]

S.O.194(E).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Scheduled annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said schedule.

SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1	INR No. 1323 (Northern Edition)	208·00 Metres	Films Division	Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.	Film dealing with news and current events (For release in Northern States *viz.* Haryana, J &K Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, U.P., Andaman & Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli Admn., Delhi, Administration, Himachal & Pondicherry.
	Glimpses of India (Northern Edition)	344·00 Metres		Do.	'Documentary'

[No. F. 28/2/74-F(P) App. 1884.]

एस० ओ० 194 (अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों की, उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित जिनका विवरण उनके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1323 (उत्तरी संस्करण)	208.00 मीटर	फिल्म प्रभाग, 24-पैडर रोड, बम्बई-26.	भारत सरकार,	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल उत्तरी प्रदेशों हरियाणा, जम्मु और काश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार टापू, दाद्रा और नागर हवेली प्रशासन, दिल्ली प्रशासन, पांडेचरी और हिमाचल प्रदेश)
2.	भारत दर्शन (उत्तरी क्षेत्र)	344.00 मीटर	—तथैव—		डाकुमेन्ट्री फिल्म

[सं० फा० 28/2/74-एफ० (पी०) परिशिष्ट 1884]

S.O 195 (E).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1	INR No. 1322 (Western Edition)	265·00 Metres	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Film dealing with news and current events. (For release in Western States i.e. Gujarat, Maharashtra, & Goa Daman & Diu.

[No. F. 28/2/74-F(P) App. 1885]

एस० ओ० 195(अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 को प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों के सहित जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है।
(1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भारतीय समाचार समीक्षासंख्या 1322 (पश्चिम संस्करण)	265.00 मीटर	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24—पेडर रोड, बम्बई.26		समाचार और सामाजिक घटनाओं की फिल्म (केवल गुजरात, महाराष्ट्र तथा गोआ, दमन और दीव में प्रदर्शित करने के लिए)

[सं० फा० 28/2/74—एफ० (पी०) परिशिष्ट 1885]

S.O.196 (E).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792, dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule given below in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said schedule:—

SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or film dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1	I.N.R. No. 1320	301·00 Metres	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Film dealing with News and Current Events.
2.	I.N.R. No. 1321	207·00 Metres	Do.		Do.
3.	I.N.R. No. 1322	171·00 Metres	Do.		Do.
4.	I.N.R. No. 1323	294·00 Metres	Do.		Do.
5.	Just Think (Colour)	61·00 Metres	Do.		'Educational'.
6.	Tax	450·00 Metres	Do.		Do.
7.	For Sake of Your Child (Colour).	29·87 Metres	Do.		Do.
8.	A Better Start (Colour)	29·87 Metres	Do.		Do.
9.	Nai Roshni	299·89 Metres	Director of Information and Publicity, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal.		'Documentary'.
10.	Banking Comes to People.	319·00 Metres	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		'Educational'.
11.	Jal Aur Jyoti	265·48 Metres	Director of Information, Govt. of Uttar Pradesh, Soochna Bhavan, Lucknow (U.P.).		Do.
12.	Angoor Ki Kheti	269·32 Metres	Do.		Do.
13.	Homage to the Sons of India.	244·00 Metres	Shri Mohan Bhatiya Shanaz, 90 Nepean Sea Road, Bombay-6.		Do.

[No. F. 28/2/74-F(P) App. 1886]

एस० ओ० 196(अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3 792, दिनांक 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतदद्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्यक के सामन उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है, या समाचार और सामायिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है ।
1	2	3	4	5	6
(1)	भारतीय समाचार समीक्षा सं० 1320	301.00 मीटर	फिल्म प्रभाग. भारत सरकार, 24–पैडर रोड, बम्बई–26.		समाचर और सामायिक घटनाओं की फिल्म
(2)	भारतीय समाचार समीक्षा स० 1321	207.00 मीटर	तथैव		तथैव
(3)	भारतीय सामाचार समीक्षा सं० 1322	171.00 मीटर	तथैव		तथैव
(4)	भारतीय सामाचार समीक्षा सं० 1323	294.00 मीटर	तथैव–		तथैव
(5)	सोचिय (रंगीन)	61.00 मीटर	तथैव		"शिक्षा संबंधी"
(6)	टेक्स	450.00 मीटर	तथैव		तथैव
(7)	आपके बच्चे की भलाई के लिए (रंगीन)	29.87 मीटर	तथैव		तथैव
(8)	अच्छी शुरुआत (रंगीन)	29.87 मीटर	तथैव		तथैव
(9)	बैंक और आय	नागरिक305.00 मीटर	तथैव		तथैव

1	2	3	4	5	6
(10)	नई रोशनी	299.89 मीटर	सूचना और प्रचार निदेशक, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल		डाकुमेंटरी
(11)	जल और ज्योति	265.48 मीटर	सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार, सूचना भवन, लखनऊ	शिक्षा संबंधी	
(12)	अंगूर की खेती	269.32 मीटर	—तथैव—	—तथैव—	
(13)	हो रेंजट् दि सन्ज आफ इंडिया	244.00 मीटर	श्री मोहन भाटिया, शनाज, 90 नीपेन सी रोड, बम्बई—6	शिक्षा संबंधी	

[संख्या फा० 28/2/74—एफ० (पी०) परिशिष्ट 1886]

S.O.197(E).—In pursuance of the directions issued under the provisions of each of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay, hereby approves the film/films specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub-Section (4) of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).

(2) Sub-section (4) of Section 5 of the Uttar Pradesh Cinemas (Regulations) Act, 1955 (Uttar Pradesh Act 3 of 1956).

THE SECOND SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with News & Current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1.	Uttar Pradesh Samachar No. 21.	273·10 Metres.	Director of Information, Government of Uttar Pradesh, Lucknow (U.P.).		Film dealing with news and current events (For release in Uttar Pradesh Circuit only.)

[No. F. 28/2/74-F(P) App. 1887]

एस० ओ० 197 (अ).—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भाषाओं के रूपान्तर सहित, जिसका विवरण उसके सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

(1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उप-धारा (4) तथा धारा 16।

(2) उत्तर प्रदेश (विनियम) अधिनियम, 1955 (1956 का 3 उत्तर प्रदेश अधिनियम) की धारा 5 की उप धारा (4)।

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमैन्टरी फिल्म है
1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश समाचार संख्या 21		273.10 मीटर	सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।		समाचार और सामयिक घटनाओं से सम्बन्धित फिल्म (केवल उत्तर प्रदेश सर्किट के लिए)

[सं० फा० 28/2/74-एफ० (पी०) परिशिष्ट 1887]

S.O.198 (E).—In pursuance of the directions issued under the provisions of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay, hereby approves the films specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub-Section (4) of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).

(2) Sub-Section (3) of the Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XI of 1953).

THE SECOND SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1	Maharashtra News No. 259.	300·00 Metres	Director General of Information and Public Relations, Govt. of Maharashtra, Film Centre, 68-Tardeo Road Bombay-34.		Film dealing with news and current events (For release in Maharashtra Circuit only).
2	Shapath	175·26 Metres	Do.		Do.

[No. F. 28/2/74-F(P) App. 1888]

K.P.K. NAYAR, Under Secy.

एस० ओ० 198(अ).—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिसों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम दो में दी गई फिल्मों को उनके सभी भाषाओं के रूपांतरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया गया है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

(1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16।

(2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम, 1953 (1953 का 11वां बम्बई अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9।

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमैन्ट्री फिल्म है।
1	2	3	4	5	6
(1)	महाराष्ट्र समाचार संख्या 259	300.00 मीटर	महानिदेशक, सूचना और जन सम्पर्क, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सेंटर 68-तारदेव रोड, बम्बई–34।	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म। (केवल महाराष्ट्र सर्किट के लिए)	
(2)	शपथ	175.26 मीटर	तदैव		शिक्षा सम्बन्धी।

[सं० फा० 28/2/74-एफ० (पी०) परिशिष्ट 1888]

के० पी० के नायर, अवर सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974